फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला—उदयपुर

प्रार्थी : श्री शोभालाल भील | **विपक्षी : राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार घासा**

किस्म मुकदमा — 131,133 भू.राजस्व अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 83/25**
जीसीएमएस : 2025/278

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 17.07.2025	

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं राजपैरोकार उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी एवं राजपैरोकार की बहस पूर्व पेशी पर सुनी गई। तहसीलदार घासा द्वारा रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि रिपोर्ट पटवारी हल्का विजनवास अनुसार राजस्व ग्राम विकरणी की वर्तमान जमाबन्दी सवंत 2077—80 के खाता संख्या 300 में खसरा संख्या 1541/3 रकबा 1.4569 हैक्टेयर किस्म बा. द्वितिय होकर खातेदार शोमालाल पुत्र पुरणमल जाति भील निवासी करेलों का गुडा तहसील बड़गांव के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। मूल खसरा नम्बर 3 विलानाम गैर काबिल काश्त में से 9 बीघा गैरखातेदारी के रूप में श्री भीमा विता तेजा गमेती (भील) सा. देह के नाम मूल आवंटन कार्यालय उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर जिला उदयपुर के द्वारा दिनांक 16.10.1977 को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 20 के अन्तर्गत हुआ था। कब्जा सुपुर्दगी सम्बन्धी पत्रावली कार्यालय पटवार हल्का विजनवास में उपलब्ध नहीं है। वर्तमान नक्शे में पटवारी शीट (लट्ठा शीट) में आराजी नम्बर 1541/3 की तरमीम मोजूद है। तरमीम का क्षेत्रफल खाते में दर्ज क्षेत्रफल से कम है। किन्तू मौके पर कब्जा रिकॉर्ड अनुसार पूरा है। वर्तमान फर्म से प्राप्त नक्शा शीट अर्थात् बटर शीट में तरमीम मौजूद है। जिसका रकबा 0.6000 हैक्ट है। जबकि वर्तमान/गत जमाबन्दी में उक्त आराजी का रकबा 1.4569 हैक्ट, अर्थात् 9 बिघा है। रकबा 0.8569 हैक्ट, कम है, जिसको शुद्ध किया जाकर परिशिष्ठ 'ब' में दर्शाया गया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार घासा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि ग्राम विकरणी पटवार हल्का विजनवास तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 के खाता संख्या 360 पर दर्ज आराजी नम्बर 1541/3 रकबा 1.4569 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम पर दर्ज है। उक्त भूमि मूल आराजी नम्बर 3 से 9 बीघा भूमि धूला पिता उदा गमेती सा.देह के नाम आवंटन कर आराजी नम्बर 3 में कब्जा सिपुर्द किया गया। आवंटन की शर्तो की पालना करने पर उक्त खातेदारी हक से दर्ज की गई। परन्तु आवंटन से ही उक्त भूमि की तरमीम लठा नक्शा में नही की गई। परन्तु सेग्रीगेशन अर्थात राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाईन करते समय उक्त भूमि की तरमीम कर दी गई। जिसका नक्शा शीट फर्म द्वारा तैयार कर दिया गया। परन्तु उक्त तरमीम किस नक्शा ट्रेस के आधार पर की गई या किस आदेश के तहत की गई। यह अंकित नही किया गया। इससे जाहीर होता है कि तत्कालीन राजस्व कर्मचारियो द्वारा ऑनलाईन नक्शे में तरमीम अपने मनमुताबिक कर दी गई। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि उक्त भूमि का आवंटन आराजी नम्बर 3 [illegible] है। तत्पश्चात आवंटन का नामान्तरकरण पारित किया गया है। [illegible] नामान्तरकरण पारित करने के पश्चात बटा नम्बर अंकित करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की गई। उसी समय साबिक लट्ठा नक्शा में उक्त भूमि की तरमीम करनी चाहिए थी। [illegible] राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:58:15 IST
Reason: SelfAttested

कर्मचारियो द्वारा नही की गई। यदि उक्त तरमीम सेहवन से रह गई थी, तो ऐसे में समक्ष अधिकारी के आदेश से प्रस्तावित नक्शा ट्रेस के आधार पर तरमीम करनी चाहिए थी, परन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा ऐसा नही कर अपने मनमुताबिक उक्त भूमि की तरमीम कर दी गई। उक्त तरमीम राजस्व कर्मचारियो द्वारा अपने मनमुताबिक कर देने से जमाबंदी में उक्त आराजी दर्ज रकबा एवं राजस्व नक्शे में उक्त आराजी के तरमीम के रकबे का मिलान नही हो रहा। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रकबे से राजस्व नक्शे में कम रकबा दर्ज है। जबकि नक्शा ट्रेस में भी नपती करने पर प्रार्थीगण की भूमि का रकबा जमाबंदी में दर्ज रकबे के बराबर होना चाहिए था। तहसीलदार घासा द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि तत्कालीन पटवारी द्वारा नक्शा ट्रेस सही पैमाना लेकर नही बनाया जिससे प्रार्थीगण की भूमि का रकबा नक्शा ट्रेस कम दर्ज हो गया। तहसीलदार घासा द्वारा मौके एवं जमाबन्दी में दर्ज रकबे अनुसार प्रस्तावित नक्शा ट्रेस भी प्रस्तुत किया हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि जमाबंदी में दर्ज आराजी का रकबा एवं नक्शा ट्रेस में रकबा भिन्न नही हो सकता है। जबकि तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार इस प्रकरण में वर्णित आराजीयात का रकबा जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस में भिन्न है। जिससे शुद्ध करना न्यायोचित पाया जाता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में तहसीलदार घासा की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 133 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि ग्राम विकरणी पटवार हल्का विजनवास तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 360 पर दर्ज आराजी नम्बर 1541/3 रकबा 1.4569 हैक्टेयर भूमि की तरमीम तहसीलदार घासा द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार घासा द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार घासा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायायलय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:58:15 IST
Reason: SelfAttested